

प्रेषक,

ओम प्रकाश,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशिक्षण,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-02

देहरादून:दिनांक 6 नवम्बर, 2017

विषय- प्रशिक्षण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 20142/डीटीईयू/0202/ब0रि0/11/2016-17 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण विभाग के अनुदान संख्या-16 के अधीन वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू 2000/-हजार (रूपया बीस लाख मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय संग्रह खण्ड/1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तिकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या बी-2-2337/97 दिनांक 21

नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

5. विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल निर्धारित योजनाओं (मद) पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. मतदेय पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
10. इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2230 श्रम तथा रोजगार के अधीन संलग्नक परिशिष्ट क में उल्लिखित संबंधित ब्यौरे वार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नाम डाला जायेगा।
11. जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उनके संबंध में वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगणन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. भारत सरकार के शासनादेश संख्या :GO.35(4) model ITI_uk(1)/2015, दिनांक 18.09.2015 में उल्लिखित प्राविधानों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
13. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(ओम प्रकाश)


अपर मुख्य सचिव

संख्या - 958/ XLI-1/17/-46(प्रशि0)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित का निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायू मण्डल उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी-नैनीताल।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5/राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
7. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अनूप कुमार मिश्रा)

अनुसचिव